

TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI EXTRA ORDINARY GAZETTE
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(REVENUE DEPARTMENT)
5, SHAM NATH MARG, DELHI

F No. 7(14)/REV./GA/Rev. P/DC/2012/ ३३०५

Dated: the २२-२- 2013

NOTIFICATION

F No. 7(14)/REV./ GA/Rev. P/DC/2012.- In supersession of all previous notifications appointing Tehsildars / Consolidation Officers of Revenue Department, Govt. of National Capital Territory of Delhi & conferring powers of Assistant Collector, Grade-II and in exercise of the powers conferred by section 77 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954), clause (b) of sub-section (1) of section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Act No. XVII of 1887), sub-section (1) of section 15 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, and sub-section (2) of section 14 of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act 1948 (Act No. 50 of 1948) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon all the Tehsildars/ Consolidation Officers of Revenue Deptt., Government of National Capital Territory of Delhi, the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Acts and appoints them as Consolidation Officers respectively in their respective Tehsils/ Revenue Areas with effect from the date of assumption of the charge of the post of Tehsildar/ Consolidation Officer as the case may be and so long as they hold such post in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE Lt. GOVERNOR
OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI,


(MOHAMMED A ABID)
Addl. Secretary (Revenue)

F No. 7(14)/REV./GA/Rev. P/DC/2012/ ३३०५

Dated: the २२-२- 2013

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. Dy. Secretary(GAD) Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya New Delhi along with two copies of Notification in English & Hindi for publication in part-IV, Delhi Gazette (Extra Ordinary).
2. All District Magistrates/Deputy Commissioners, Revenue Deptt., Govt. of N.C.T. of Delhi.
3. All Addl. Districts Magistrates, Revenue Deptt. , Govt. of N.C.T. of Delhi.
4. All Sub. Divisional Magistrates, Revenue Deptt. , Govt. of N.C.T. of Delhi.
5. All Tehsildars, Revenue Deptt. , Govt. of N.C.T. of Delhi.
6. Dy. Controller of Accounts, Revenue Deptt. , Govt. of N.C.T. of Delhi.
7. AD(Planning) , Revenue Deptt. , Govt. of N.C.T. of Delhi.
8. System Analyst, Revenue Department for uploading the notifications on departmental website .
9. P.A. to Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner, Delhi.
10. Guard file.


(RAJIV KUMAR)
SUB DIVISIONAL MAGISTRATE-I (HQ)

दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग-4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
राजस्व विभाग,
5 शामनाथ मार्ग, दिल्ली

सं.फा. 7(14)/राज0/जीए/राज0-पी/मं. आयु./2012 ३३०५

दिनांक: २२-२-२०१३

अधिसूचना

सं.फा. 7(14)/राज0/जीए/राज0-पी/मं. आयु./2012 .— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के तहसीलदार/चकबंदी अधिकारी की नियुक्ति तथा सहायक समाहर्ता ग्रेड-II की शक्तियाँ प्रदान करने संबंधी सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में तथा दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 77, पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (1987 का अधिनियम संख्या XVII) की धारा 27 की उपधारा (1) के खंड (ख), उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 15 की उपधारा (1) तथा पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी एवं विखंडन रोकथाम), अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्या 50) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समस्त तहसीलदारों/चकबंदी अधिकारियों को उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत सहायक समाहर्ता ग्रेड-II की शक्तियाँ प्रदान करते हैं और राजस्व विभाग में उनकी संबंधित तहसीलों/राजस्व क्षेत्रों में तहसीलदार/चकबंदी अधिकारी जैसी भी स्थिति हो के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से तथा उनके उक्त पद पर बने रहने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, को चकबंदी अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

(मुहम्मद ए आबिद)
अतिरिक्त सचिव (राजस्व)

सं.फा. 7(14)/राज0/जीए/राज0-पी/मं. आयु./2012 ३३०५

दिनांक: २२-२-२०१३

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित :-

- उप-सचिव (साप्र०वि०), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित।
- समस्त जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- समस्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- समस्त सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- समस्त तहसीलदार/चकबंदी अधिकारी राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- उप-नियंत्रक लेखा, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- सहायक निदेशक (योजना), राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- प्रणाली विश्लेषक, राजस्व विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अधिसूचना को अपलोड करने हेतु।
- नि.स. सचिव (राजस्व)/मंडलीय आयुक्त।
- गार्ड फाईल।

राजीव कुमार
(राजीव कुमार)
उपमंडलीय दंडाधिकारी-I (मख्यालय)